

झारखंड ने विकास आवश्यकताओं हेतु कर हस्तांतरण में वृद्धि की मांग की चर्चा में क्यों?

झारखंड सरकार ने अपने आर्थिक योगदान और वशिष्ट विकासात्मक आवश्यकताओं का संदर्भ देते हुए [सोलहवें वित्त आयोग](#) से केंद्रीय कर हस्तांतरण में राज्य की हसिसेदारी को वर्तमान 41% से बढ़ाकर 50% करने का आग्रह किया है।

मुख्य बटु

- विकासात्मक आवश्यकताओं के लिये उच्च कर हस्तांतरण:
 - झारखंड, जो [खनन](#) के माध्यम से महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है तथा अपनी पर्यावरणीय और सामाजिक लागतों को वहन कर रहा है, ने [कृषि](#), स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सुधार के लिये वित्तीय सहायता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
 - राज्य ने अपनी बड़ी कृषि-निर्भर आबादी और कृषि विकास की क्षमता पर प्रकाश डाला तथा स्थानीय आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिये लचीले नधि उपयोग का आह्वान किया।
- खनन गतिविधियों से संबंधित मुद्दे:
 - राज्य ने योजनाबद्ध भूमि सुधार पर जोर दिया, प्रस्ताव दिया कि खनन कार्य समाप्त होने के बाद खनन की गई भूमि वापस कर दी जाए। साथ ही, इसने क्षेत्र में कार्यरत खनन कंपनियों से **1.40 लाख करोड़ रुपए की लंबित राशि** जारी करने की मांग भी की है।
- राज्य बजट और कल्याणकारी पहल:
 - झारखंड के 1.45 लाख करोड़ रुपए के बजट में गरीबों, महिलाओं और कमजोर समूहों के लिये [सामाजिक कल्याण](#) हेतु 62,844 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं। 13,363 करोड़ रुपए महिलाओं की वित्तीय सहायता योजनाओं के लिये और 5,000 करोड़ रुपए पात्र नविसियों को मुफ्त बजिली देने के लिये समर्पित हैं।

16वाँ वित्त आयोग

- परिचय
 - [भारतीय संविधान](#) के अनुच्छेद 280 के तहत गति **16वाँ वित्त आयोग** 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर **पाँच वर्ष की अवधि** को कवर करेगा।
 - इसके अध्यक्ष **डॉ. अरविंद पनगढ़िया** हैं जबकि सदस्य हैं – **अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा** तथा **सौम्य कांती घोष** (अंशकालिक)।
 - **ऋतुविकि रंजन पांडे** सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
- भूमिका एवं कार्यादेश: वित्त आयोग एक [संवैधानिक निकाय](#) है जिसका गठन हर पाँच वर्ष में **राजकोषीय संघवाद को बनाए रखने** और नमिनलखिति सफिराशिन करने के लिये किया जाता है:
 - संघ और राज्यों के बीच **कर राजस्व वितरण**।
 - राजस्व की कमी वाले राज्यों को **अनुदान सहायता के सिद्धांत**।
 - **स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं)** के लिये समर्थन।
 - **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** के अंतर्गत **आपदा प्रबंधन वित्तपोषण की समीक्षा**।
 - राज्यों की **समेकित नधि** को **मज़बूत करने के उपाय**।
- महत्त्व:
 - क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये **समान संसाधन आवंटन** सुनिश्चित करना।
 - **जमीनी स्तर पर शासन** और स्थानीय विकास का समर्थन करता है।
 - **राजकोषीय प्रबंधन**, व्यय दक्षता और सार्वजनिक वित्त सुधार पर सलाह देना।



वित्त आयोग

वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र है

-भारतीय संविधान

अनुच्छेद 280 (भारतीय संविधान का भाग XII)

अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन

गठन:

भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के भीतर

सदस्य:

- अध्यक्ष + 4 सदस्य (एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित) - राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- योग्यता तय करने का अधिकार-संसद
- कार्यकाल: जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया गया है
- पुनर्नियुक्ति: पुनर्नियुक्त किये जा सकते हैं

एक सिविल कोर्ट की शक्तियाँ

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार

वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं और सरकार के लिये बाध्यकारी नहीं हैं

○ पहला वित्त आयोग (1952-57)

- अध्यक्ष- के. सी. नयोगी

○ दूसरा वित्त आयोग (1957-62)

- अध्यक्ष- के. संथानम

○ पंद्रहवाँ वित्त आयोग (2021-2026)

- अध्यक्ष- एन.के. सिंह

○ राज्य वित्त आयोग

- राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष में गठित (अनुच्छेद 243)
- पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा

राष्ट्रपति को FC द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

- केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय का वितरण
- केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता हेतु अनुदान का निर्धारण
- राष्ट्रपति द्वारा इसे भेजे गए अन्य वित्तीय मामले
- राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्द्धन के लिये आवश्यक कदमों की सिफारिश करना।



PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/jharkhand-demands-increased-tax-devolution-for-development-needs>

